राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6374/2022

क्र. स.	अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक का नाम
1.	लोकेश कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राज. सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राज. 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।	14.12.2022	श्री संदीप कलवानिया
2.	राकेश कुमार भारिया			
3.	योगेन्द्र कुमार गोहिल			
4.	श्यामलाल गयरी			
5.	अनिल कुमार			

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण की पदौन्नति 16.07.2016 के आदेश के द्वारा प्राध्यापक के पद पर की गई थी, जो 2016–17 की डीपीसी की रिक्तियां मानकर की गई। आदेश दिनांक 11.01.2018 के अनुसार अपीलार्थीगण की पदौन्नति डीपीसी 2017–18 मानी गई, जिस कारण से आरपीएससी से चयनित व्याख्याता, अपीलार्थीगण से वरिष्ठ हो गये। जबकि अपीलार्थीगण ने कार्यभार पहले ग्रहण किया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने इस संबंध में अपना अभ्यावेदन विभाग को प्रस्तुत किया था, परंतु अपीलार्थीगण के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया था।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते

हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)